संख्या-08/2021/950/63व0उ0-2021-26(एच)/2019

प्रेषक,

पी0 के0 पाण्डेय
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0, कानपुर।

हथकरघा वस्त्रोद्योग अनुभाग **लखनऊ: दिनांकः 09 अगस्त, 2021**

विषयः- अधिष्ठान व्यय की मद में अतिरिक्त बजट व्यवस्था हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियन्त्रक के पत्र संख्या-18/ह0क0-वित्त-बजट/2021-22 दिनांक 24.05.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-6 लेखा शीर्षक-''2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन एवं प्रशासन, 03-अधिष्ठान व्यय-हथकरघा निदेशालय की मानक मद-01 वेतन मद से मानक मद संख्या-58-आऊर्सोसिंग सेवाओं हेतु भुगतान की मद में रू0 20.72 लाख (रू0 बीस लाख, बाहत्तर हजार मात्र) पुनर्विनियोग प्रपत्र बी0एम0-9 में अंकित लेखाशीर्षक के अनुसार पुनर्विनियोजित कर वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोग आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर द्वारा यह सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा कि उक्त धनराशि का भुगतान प्रथम बार किया जा रहा है। उक्त पुनर्विनियोजित धनराशि व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय केवल उक्त स्वीकृत मद पर ही किया जायेगा। यदि किन्ही कारणो से उक्त धनराशि व्यय नहीं हो पाती है तो उसे दिनांक 31.03.2022 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाए। आऊर्सोसिंग सेवाओं हेतु सम्बन्धित कार्मिकों/संस्था को नियमों के अधीन परीक्षण करके भुगतान किया जायेगा। उक्त धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर का होगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की अनुदान संख्या-6 लेखाशीर्षक-''2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन,03-अधिष्ठान व्यय-हथकरघा निदेशालय-मानक मद-01 वेतन मद से मानक मद संख्या-58-आऊर्सोसिंग सेवाओं हेतु भुगतान की मद में किया जाना है। उक्त धनराशि व्यय करने में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च 2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नकः-यथोक्त।

भवदीय,
(पी0 के0 पाण्डेय)
उप सचिव।

संख्या- 08/2021/950(1)/63व0उ0-2021 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
3- वित्त ई-6 अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(पी0 के0 पाण्डेय)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in